राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 14-08-2024
स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 88वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 88वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 14-08-2024 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री एम. कार्तिकेयन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य अतिथि की तौर पर माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, डॉ रामेश्वर ओरांव और विशिष्ट अतिथि की तौर पर माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह इस त्रैमासिक बैठक में सम्मालित हुए। उक्त बैठक में वित्त विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री प्रशान्त कुमार,भा०प्र० से०, ग्रामीण विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री श्रीनिवासन, कृषि विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, एस०एल०बी०सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक, श्री गौतम कुमार सिंह, एस०एल०बी०सी के उप महाप्रबंधक, श्री सी एच गोपाला कृष्णा एवं भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्रीमति अनामिका शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार साहू, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कु० सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभास बोस, एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

सर्वप्रथम श्री कुमार ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, अग्रणी ज़िला प्रबन्धको, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को राज्य की बैंकिंग गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया तथा इस क्रम मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य द्वारा हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सदन को बताया कि राज्य का ऋण जमा अनुपात 30.06.2024 तक 49.57 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जिसमे की साल दर साल 9.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है और तिमाही दर तिमाही 2.76 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। उन्होने राज्य कि इस उपलब्धि पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत (86.59) से काफी नीचे है किन्तु उन्होने सभा को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर इस ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत के आंकड़े से आगे बढ़ा सकते हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने बताया की एसएलबीसी झारखंड को FY 2024-25 में चलाये गए **APY Citizens Choice (H1P1) Campaign** के लिए PFRDA द्वारा **"Award of Excellence"** से सम्मानित किया गया है, उन्होने राज्य की इस उपलब्धि पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि यह एक विशेष उपलब्धि है क्यूंकी पूरे देश में सिर्फ SLBC

Jharkhand ही इस श्रेणी में पुरस्कृत हो पाया है। श्री कुमार ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख और अग्रणी जिला प्रबंधकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास जताया की यह गति को पूरे वर्ष जारी रहेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने राज्य के बैंकों के पास जमा राशि में आ रही गिरावट पर अपनी चिंता जतायी। उन्होने कहा की मुद्रा बाजार से अधिक लाभ की अपेक्षा से, लोग अपने धन को बैंक से बाजार की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों में जमा राशि में गिरावट देखी जा रही है। उन्होने आगे बताया कि राज्य में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव निजी क्षेत्र के बैंकों पर पड़ा है, जिनकी जमा राशि में पिछली तिमाही की तुलना में 2 प्रतिशत से लेकर 19 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है साथ ही साथ झारखंड राज्य के कुल जमा में भी पिछली तिमाही की तुलना में 0.39 प्रतिशत)(1346 करोड़) रूपय तक की गिरावट देखी गयी है । महाप्रबंधक एसएलबीसी ने मंच से सभी एलडीएम और बैंकों के राज्य प्रमुखों से कोर बैंकिंग व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और जमा राशि बढ़ाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य बैंकों और एलडीएम के साथ साझा किये जा चुके हैं। उन्होने बताया कि इस वर्ष एसीपी के अंतर्गत कुल एक लाख बीस हजार करोड़ रूपय का का लक्ष्य रखा गया है और जून तिमाही तक राज्य ने इस लक्ष्य का 36.76 प्रतिशत हासिल कर लिया है। उन्होने सभी राज्य प्रमुखों और एलडीएम से अनुरोध किया कि वे, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने बताया कि ACP लक्ष्यों को हांसिल करने और राज्य के कोने कोने तक ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ इंडिया ने जून तिमाही के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 2714 ऋण कैंपों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से लगभग 200 करोड़ रूपय का ऋण वितरण किया गया। उन्होने यह भी बताया कि इन कैंपों में से लगभग 280 SHG कैंपों के माध्यम से लगभग 197 करोड़ रूपय का ऋण स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने मंच के माध्यम से कहा कि हमारा ध्येय सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं होना चाहिए बल्की आगे बढ़ कर जन जन की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और KCC ऋण के PROMPT REPAYMENT पर राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज अनुदान के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होने इसके लिए राज्य के बैंक तथा एलडीएम को आंतिम छोर पर खड़े किसानों को इसके बारे में जागरूक करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने प्रस्तावित झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के दूसरे चरण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि JKRMY के प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये तक की राहत प्रदान की गई थी वहीं अब राज्य सरकार 31.03.2020 तक उक्त केसीसी खाते में 2,00,000 रुपये तक की राहत लेकर आई है इस संबंध में उन्होंने बैंकों से नए वित्त पैमाने के तहत इन केसीसी ऋणों को पुनर्वित्त करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOB झारखंड

- ❖ महाप्रबंधक एसएलबीसी ने 86वीं एसएलबीसी बैठक में उठाए गए विषय पर सदन को जानकारी दी, जिसमें राज्य सरकार से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ केसीसी वित्तपोषण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार से केसीसी के लिए इस सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- ❖ श्री कुमार ने सदन के समक्ष Govt. Sponsored schemes में बैंकों के प्रदर्शन पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया, उन्होने बताया कि: विगत वित्त वर्ष 31.03.2024 तक PMFME में राज्य के बैंको ने 1370 आवेदन स्वीकृत किये, वहीं AIF में 226, kcc Animal Husbandary में 5827 और KCC Fisheries में 1776। उन्होंने आगे बताया कि इस तिमाही के दौरान PMFME में 240, AIF में 20, KCC Animal Husbandary में 455 और KCC Fisheries में 153 आवेदन स्वीकृत हुए है। श्री कुमार ने सभी सदस्य बैंक और एलडीएम से Govt. Sponsored Scheme में वित्त पोषित करने का आग्रह किया।

  श्री कुमार ने कहा कि पीएमएफएमई एक बहुत अच्छी योजना है जहां सरकार असंगठित क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. उन्होंने एलडीएम से गुणवत्तापूर्ण ऋण आवेदन प्राप्त करने और स्वीकृत करने के लिए जिला संसाधन व्यक्तियों के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- ❖ महाप्रबंधक एसएलबीसी ने राज्य सरकार से जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के पास लंबित SARFAESI के मामलों के निस्तारण का आग्रह किया। उन्होने कहा की 30.06.2024 तक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये data के अनुसार जिला कलेक्टरों के पास कुल 696 sarfaesi के मामले लंबित है जहां प्रतीकात्मक कब्जे **(Physical Possession)** अपेक्षित है। श्री कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि कृपया सभी 24 जिलों के कलेक्टरों को इसके निपटान हेतु दिशानिर्देश जारी करें।

(एक्शन- राज्य सरकार)

अपने अभिभाषण के अंत में श्री कुमार ने **RBI,** राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री सी.एच गोपाला कृष्णा द्वारा किया गया, इस सत्र में श्री कृष्णा ने सभा अध्यक्ष श्री कार्तिकेयन एवं अन्य गणमान्यों की सहभागिता के साथ सभी बैंक व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा करी। व्यवसायिक सत्र के दौरान निकले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे:

- ➢ उपमहाप्रबंधक ने झारखंड राज्य की स्थिति के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30.06.2024 तक झारखंड राज्य में कुल जमा 3,39,819 करोड़ है जबकि राज्य में कुल अग्रिम 1,68,445 करोड़ है। उन्होंने आगे बताया कि 30.06.2024 तक राज्य का ऋण जमा अनुपात 49.57 प्रतिशत है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड

- श्री कृष्ण ने बताया कि **30.06.2024** तक झारखंड राज्य ने जमा में **10.48%**, अग्रिम में **21.48%** और ऋण जमा अनुपात में **9.96%** की साल दर साल वृद्धि देखी है। उन्होंने उपरोक्त उपलब्धि के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी साथ ही साथ उन्होंने सदन को यह भी बताया कि **30.06.2024** तक राज्य का साल दर साल एनपीए प्रतिशत में **16.69%** की कमी आयी है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कुछ एजेंडे लंबित हैं, ये हैं:
  - वर्तमान में **24** जिलों में से **16** जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता के कारण बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, **1908** और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, **1949** राज्य में बैंकों के लिए बड़ी बाधाएं हैं। बैंक इन अधिनियमों के दायरे में आने वाली संपत्तियों के बंधक के विरुद्ध ऋण पर शुल्क बनाने में असमर्थ हैं। राज्य में क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के दायरे में आता है और बैंकों को राज्य में अपनी ऋण वृद्धि बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- सदन को बताया गया कि एसएलबीसी की बैठक बुलाने से पहले एसएलबीसी उप समिति की बैठक बुलायी जानी है, लेकिन अभी तक आवास संबंधी उप समिति की बैठक नहीं बुलायी गयी है. डीजीएम एसएलबीसी ने एसबीआई से उक्त बैठक को एक सप्ताह के भीतर आयोजित करने की सलाह दी।

(एक्शन-भारतीय स्टेट बैंक)

- सदन को बताया गया कि पश्चिम सिंहभूम जिले का ऋण जमा अनुपात मात्र **12.24%** है, जो राज्य के औसत से काफी कम है. पश्चिमी सिंहभूम एलडीएम से ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िले को गोद लेने के बारे में पूछा गया. भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने पश्चिम सिंहभूम के अग्रणी जिला प्रबंधक से जिले के ऋण वृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। एलडीएम, पश्चिमी सिंहभूम ने बताया कि जिले में ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जिले में भारी जमा राशि होने के कारण ऋण जमा अनुपात को दूसरे जिले के बराबर लाना काफी मुश्किल है। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, श्री एम कार्तिकेयन ने एलडीएम को जिले के वित्तपोषण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

(एक्शन-पश्चिमी सिंहभूम जिला)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से जिलेवार **Place of Utilization** उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिससे जिला स्तरीय क्रेडिट जमा अनुपात की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक ने सदन को बताया कि अधिकांश बैंक विभिन्न बैठकों की कार्रवाई रिपोर्ट समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जमा नहीं करने से यह पता नहीं चलता कि उक्त क्षेत्र के तहत क्या सुधार हुआ है और किस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. डीजीएम आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों और एलडीएम को डेटा के साथ अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि किसी भी बैंक

और एलडीएम को "अनुपालन के लिए नोट किया गया, शाखाओं को निर्देश दिया गया आदि" जैसे रिप्रोट प्रदान नहीं करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री गोपाला ने सदन को बताया कि सरकार प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी नगण्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक भी डीजीएम एसएलबीसी की बात से सहमत हुए और कहा कि **MSME Empowered Comiittee** की बैठक में सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को जनता को फंड देने और सरकार प्रायोजित योजनाओं के लंबित पड़े आवेदनों पर ध्यान देने की सलाह दी गई थी।

(एक्शन- निजी क्षेत्र का बैंक)

- डीजीएम आरबीआई ने कहा कि हम एसएलबीसी की उप समिति की बैठकों में एफएलसी के रिक्त पद पर चर्चा करते रहे हैं और छह जिले ऐसे हैं जहां एफएलसी के पद रिक्त है। उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने रिक्त पदों पर एफएलसी की नियुक्ती सुनिश्चित करें क्योंकि संबन्धित बैंक द्वारा उपसमितियों में सितंबर तिमाही तक नियुक्ति करने का आश्वासन दिया गया था।

(एक्शन- SBI, BOI and Indian Bank)

- डीजीएम रिसर्व बैंक श्रीमती अनामिका शर्मा ने सदन में निष्क्रिय बीसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय समावेशन के लिए बीसी रिपोर्टिंग का सटीक डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि, बैंकों से अनुवर्ती कार्रवाई के बाद बीसी के निष्क्रिय डेटा में सुधार हो रहा है, जो बीसी के सक्रिय होने या बीसी के डी-रजिस्टर होने के कारण हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी भी निष्क्रिय बीसी कि स्थिति अच्छी नहीं है. सदन को बताया गया कि सबसे ज्यादा निष्क्रिय बीसी यस बैंक और फ़ीनो पेमेंट बैंक के हैं.
- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने एसएलबीसी से अगली बैठक में प्रति लाख जनसंख्या के आंकड़े की तुलना राष्ट्रीय औसत से करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- SLBC)

- उप महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को सूचित किया कि 30.06.2024 तक पीएमजेडीवाई खातों में साल-दर-साल 8 लाख खातों की वृद्धि हुई है, हालांकि निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों का प्रदर्शन राज्य के प्रदर्शन को पीछे खींच रहा है। यस बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई बैंक का प्रदर्शन खराब रहा। इन सभी बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और उपरोक्त प्रदर्शन पर उचित कारण बताने की सलाह दी गई।

(एक्शन- उपरोक्त सभी बैंक)

- भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने एसएलबीसी और आरबीआई को सरकारी योजनाओं के तहत उनके प्रदर्शन पर निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक अलग समीक्षा बैठक आयोजित करने की सलाह दी।

(एक्शन- SLBC और आरबीआई)

- उप महाप्रबंधक, एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि बैंक सर्टिफिकेट केस, डीआरटी और सरफेसी के तहत गलत डेटा प्रदान कर रहे हैं, जिस पर बैंकों को सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक ने सुझाव दिया कि डेटा को बैंकों के साथ साझा किया जाना चाहिए और बैंकों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री गोपाला ने बताया की आरबीआई की लीड बैंक योजना के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, राज्य स्तर पर प्रत्येक बैंक के नियंत्रण कार्यालय को, तिमाही के अंत के **15** दिनों के भीतर एसएलबीसी पोर्टल पर डेटा अपलोड करने एवं **manual report** उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, हालांकि जून तिमाही के बाद कुछ बैंकों द्वारा देरी से रिपोर्टिंग करी गयी, ये बैंक हैं: **एक्सिस, इंडसइंड, बंधन और पंजाब सिंध बैंक**।

(एक्शन- उपरोक्त सभी बैंक)

- श्रीमती अनामिका शर्मा ने **frictionless credit** के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आरबीआई इनोवेशन हब की एक पहल है जहां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंकों से ऋण दिया जाएगा और वर्तमान में आरबीआई ने पायलट आधार पर **6** राज्यों में इसकी शुरुआत के साथ **13** बैंकों के साथ समझौता किया है। उन्होंने आगे बताया कि आरबीआई ने झारखंड राज्य में भी इसकी शुरुआत की है और इस संबंध में आरबीआई इनोवेशन हब टीम ने विभागों के साथ बैठक की है और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि झारखंड राज्य में इसे एकीकृत करने में कितना समय लगेगा। इस सार्वजनिक तकनीकी मंच से निश्चित रूप से किसानों को मिनटों में केसीसी आवेदन स्वीकृत करने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- डीजीएम आरबीआई ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये की स्वीकार्यता के लिए पहल कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात और रूस जैसे देशों में इसे निपटान के लिए स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई झारखंड राज्य में निर्यातकों और आयातकों को इस ओर प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- आरबीआई के उप महाप्रबंधक ने सदन को आरबीआई@**90** के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरबीआई अपने **90** वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है और पूरे राज्य में आरबीआई द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बताया कि आरबीआई रांची क्षेत्रीय कार्यालय राज्य के **90** स्कूलों में वित्तीय समावेशन पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- उप महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को सूचित किया कि डीएफएस के निर्देश के तहत, एसएलबीसी को एसएलबीसी बैठक में **CERSAI/CKYCR** पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। डीजीएम एसएलबीसी ने सभी बैंकों को पासबुक में **CKYC ID** प्रिंट करने और **CKYCR** मिस्ड कॉल नंबर **7799022129** को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने को कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उप महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर सदस्यो को जानकारी प्रदान की। श्री कृष्णा ने बधाई दी और बताया कि छात्रों के वित्तपोषण के लिए आठ बैंकों यानी **BOI, JRGB, SBI, DCCB, HDFC, ICICI, Indian Bank** और **Axis Bank** ने राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर सांख्यिकीय जानकारी भी साझा की और बताया गया कि 30.06.2024 तक **BOI** को **519** आवेदन प्राप्त हुए हैं और बैंक ने **4.14** करोड़ रुपये की राशि के **137** आवेदन स्वीकृत किए हैं, **DCCB** को **17** आवेदन प्राप्त हुए और केवल **2** आवेदन स्वीकृत किए हैं, **HDFC** बैंक को **300** आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया है। डीजीएम एसएलबीसी ने बैंक के उपरोक्त बैंक के

प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की और बैंक से मंजूरी के आंकड़े में सुधार करने का अनुरोध किया। उन्होने यह भी बताया कि **JRGB** को **133** आवेदन प्राप्त हुए हैं और बैंक द्वारा **1.50** करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डीजीएम एसएलबीसी ने अंत में सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने लंबित मामलों को निपटाएं और शिक्षा ऋण को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ग) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह का सम्बोधन-

- माननीय कृषि मंत्री ने बैठक में आमंत्रित करने के लिए एसएलबीसी को धन्यवाद दिया और कहा कि झारखंड सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत केसीसी फसल ऋण खाते में **50,000** रुपये की बकाया राशि के साथ लगभग **1900** करोड़ रुपये की राहत दी है, लेकिन अब राज्य सरकार केसीसी फसल ऋण खातों में **200000** रुपये की राहत देने जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में कृषि ऋण माफी योजना के आसान कार्यान्वयन के लिए सभी सदस्य बैंकों से उनके समर्थन का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने सभी राज्यों के बैंकों के प्रमुखों को आम लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर रखने का सुझाव दिया, जिस पर वे आसानी से कॉल कर सकें और अपनी समस्या बता सकें। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली जमीनी स्तर की समस्या को जानना बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बैंकों के पास एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कृषि ऋण पर चर्चा करते हुए माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही **1900** करोड़ रुपये की राहत प्रदान कर चुकी है और किसानों को और अधिक राहत देने के लिए राज्य सरकार तैयार है। उन्होंने बैंकरों के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि **2,00,000** रुपये तक बकाया वाले एनपीए केसीसी ऋण खाते में बैंक द्वारा **50** प्रतिशत छूट प्रदान करेंगे और शेष **50** प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऋण माफी के बारे में चर्चा के लिए मंच को उचित बतलाते हुए उन्होने से यह उम्मीद जताई की सभी बैंकों द्वारा ऋण माफी का यह प्रस्ताव उनके सक्षम प्राधिकारी स्तर पर रखा गया होगा क्योंकि राज्य में आगामी आदर्श आचार संहिता के कारण समय सीमित है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष खरीफ फसल के संबंध में जानकारी बहुत सकारात्मक आ रही है और राज्य में अच्छी वर्षा के साथ 60 प्रतिशत से अधिक बुआई भी हो चुकी है इसलिए, उन्होंने सभी बैंकों से सभी वंचित किसानों के लिए केसीसी फसल ऋण के कवरेज को बढ़ाने का अनुरोध किया।

  उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के विभाग के पास कुल 36 लाख किसानों के विवरण उपलब्ध हैं और अब तक केवल लगभग 6.5 लाख किसानों को ही केसीसी के साथ नामांकित किया गया है। माननीय मंत्री ने कहा कि केसीसी से किसानों का कम कवरेज विभाग के लिए चिंता का विषय है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बैंकों को ध्यान देना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास भूमि का डेटा नहीं है, लेकिन वे खेती की गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हे **50,000, 1,00,000** और **1,50,000** जैसे स्लैब तय करके केसीसी ऋण प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि विभाग यह भी अपेक्षा करता है कि भूमिहीन किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती कर रहे हैं, उन्हें भी ऋण से जोड़ा जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- माननीय कृषि मंत्री ने बैंकों के राज्य प्रमुखों को सलाह दी कि बैंकों को केसीसी फसल ऋण के वित्तपोषण के अलावा डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों में लगे किसानों को भी ऋण प्रदान करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसान उत्पादक संगठन (**FPOs**) का समर्थन कर रही है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होने बताया की राज्य सरकार 15 लाख एफपीओ को उनके प्रदर्शन के आधार पर सहायता प्रदान करेगी साथ ही उन्होंने बैंकों से एफपीओ के वित्तपोषण की संभावना तलाशने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

घ) नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह का सम्बोधन-

- श्री गौतम कुमार सिंह ने बताया कि इस केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रथमिकतायें तय की गई हैं, झारखंड राज्य में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26 प्रतिशत का योगदान देती है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होने कहा की यह बहुत महत्वपूर्ण है राज्य में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक को अपनाया जाना चाहिए, कृषि की लागत में कमी और उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

  श्री सिंह ने आगे बताया कि नाबार्ड ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत, नाबार्ड पिछले 20 वर्षों में लगभग 50,000 परिवारों के साथ आदिवासी विकास कार्यक्रम चला रहा है और इस कार्यक्रम को **WADI Project** का नाम दिया है जिसके तहत परिवारों की आय एक लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि उक्त मॉडल बागवानी आधारित मॉडल है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि केंद्रीय बजट की प्राथमिकता में जिस क्षेत्र को रखा गया है वह झींगा का उत्पादन और निर्यात है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में पर्याप्त जल निकाय हैं और हम पिंजरे में मछली पकड़ने और बायो फ्लॉक मछली पकड़ने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए हमें ताजे पानी के झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने और विकसित करने की जरूरत है और इसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने नाबार्ड को प्रदान किया है। उन्होंने आगे बताया कि ब्रूड स्टॉक (बीज) का विकास मत्स्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाएगा और नाबार्ड विभाग के साथ इस पर उनके साथ मिलकर चर्चा करेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने सब्जी आपूर्ति श्रृंखला (Vegetable Supply Chain) के विकास पर बात की और बताया कि केंद्रीय बजट में बड़े उपभोग क्षेत्रों के आसपास इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को विक्रसित करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका उत्पादन साल भर होता है, जैसे गोभी, भिंडी इसे देखते

हुए आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए राज्य में रणनीति बनाई जानी चाहिए जिससे हम इन सब्जियों को अन्य राज्यों और अन्य उपभोक्ताओं तक आपूर्ति कर सके साथ ही साथ हम कैसे इन्का निर्यात को भी बढ़ावा दे सके।

उन्होंने राज्य सरकार से रांची हवाई अड्डे पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा के साथ-साथ कार्गो हैंडलिंग सुविधा भी स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र के तहत राज्य सरकार को राजस्व के नए रास्ते उपलब्ध होंगे।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- महाप्रबंधक नाबार्ड ने कहा कि राज्य में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों की मदद से नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को पायलट आधार पर अपनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड ने इस पहल को झारखंड में भी अपनाया है और पतरातू, रामगढ़ जिले में नाबार्ड ने लगभग **1000** परिवारों के साथ प्राकृतिक खेती शुरू की है और पश्चिमी सिंहभूम में नाबार्ड ने प्रधान और **1100** परिवारों के साथ प्राकृतिक खेती शुरू की है।

  उन्होंने आगे सुझाव दिया कि नाबार्ड राज्य सरकार और बैंकों के लिए एक्सपोज़र विजिट की व्यवस्था कर सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नाबार्ड एफपीओ के लिए भी बैचों में भी एक्सपोज़र विजिट की व्यवस्था कर सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार के उद्देश्य के बारे में बताया कि अगले दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाना है।

(एक्शन- समस्त बैंक, नाबार्ड एवं राज्य सरकार)

- उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया और अनुरोध किया कि, उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क की तरह, कृषि क्षेत्र के लिए ***भूमि बैंक कृषि अर्थव्यवस्था क्षेत्र (Land Bank Agri Economy Zone)*** भी राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा सकता है क्योंकि सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के कारण निजी खिलाड़ियों से पूंजी निवेश नहीं किया जा रहा है इस लिए उन्होने राज्य सरकार को इसके तहत पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने का आग्रह किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- भूमिहीन किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करने पर माननीय कृषि मंत्री की बात का उल्लेख करते हुए नाबार्ड के महाप्रबंधक ने कहा कि हितधारकों ने एसएलबीसी की उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा की है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि भूमि दस्तावेज के अभाव में जिन दिशानिर्देशों को केसीसी पशुपालन और मत्स्य पालन को वित्त पोषण स्वीकृत किया जाता है, उसी प्रकार भूमिहीन किसानों के लिए भी केसीसी को वित्तपोषित करने के लिए अपनाया जा सकता है।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- श्री सिंह ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे किसानों को केसीसी से वित्त पोषित करें और शाखाओं और बीसी के सहयोग से किसानों को जागरूक करें, क्योंकि राज्य में खरीफ प्रमुख फसल है और यह इसके लिए सही समय है। उन्होंने आगे कहा कि शीघ्र भुगतान करके केसीसी में शून्य ब्याज के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार इसमें ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने बताया कि वित्तीय समावेशन पहल में नाबार्ड बैंकों को अनुदान प्रदान कर रहा है जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष में नाबार्ड ने 11.52 करोड़ रुपये का वितरण किया था, हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में

नाबार्ड ने शून्य राशि का वितरण किया है क्योंकि बैंकों ने नाबार्ड से कोई दावा नहीं किया है, इसलिए महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे उपरोक्त पहल के तहत मंजूरी के लिए नाबार्ड को अपना दावा प्रस्तुत करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- महाप्रबंधक ने नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य में पायलट आधार पर शुरू की गई अभिनव परियोजना ग्रामीण इको टूरिज्म (Rural Eco Tourism) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने रांची के सिल्ली ब्लॉक के धारापुर में एक ग्रामीण इको टूरिज्म प्रस्ताव को मंजूरी दी है और यह एक सफलत पहल प्रतीत होती है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त स्थान पर 350 मुंडा परिवार रहते हैं और उनका घर मिट्टी का बना हुआ है। उन्होंने सरकार और बैंकों से उक्त स्थान का दौरा करने का आग्रह किया और यह भी बताया कि नाबार्ड उक्त दौरे के लिए पहल कर सकता है। श्री सिंह ने सभी बैंकों से राज्य में ग्रामीण इको टूरिज्म के वित्तपोषण की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- नाबार्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड विपणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इस बार नाबार्ड क्लासिल्क एक्सपो के नाम से होटल रेडिसन ब्लू में 60 स्टालों के साथ इसका आयोजन कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल 10 दिनों के आयोजन में 15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन-

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि 1 अप्रैल 1935 को देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का शुभारंभ हुआ जो एक गौरवपूर्ण घटना है और उन्होने बताया कि इस वर्ष आरबीआई अपनी 90वीं वर्षगाँठ मना रहा है जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 01 अप्रैल 2024 को मुंबई में हुई जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और आने वाले 10 वर्षों में बैंकरों से अपनी अपेक्षाओं के बारे में बात की, उनमें से एक थी भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। श्री सिंह ने आगे कहा कि निर्यातकों, आयातकों और व्यापारियों को इस मुद्दे पर अधिक जागरूक होने की जरूरत है।

  उन्होंने कहा कि 28 बैंकों में विशेष रुपे वोस्ट्रो खाते खोले गये हैं जो गर्व की बात है ताकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये में लेनदेन हो सके। उन्होंने भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कुछ लाभों का उल्लेख किया जो हैं: विनिमय जोखिम में कमी, निर्यातक और आयातकों को 1.50 - 2.0 प्रतिशत तक की बचत और अन्य मुद्रा पर निर्भरता की कमी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने आरबीआई के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होने बताया की इस विशेष अवसर पर, वित्तीय समावेशन और जागरूकता के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची कार्यालय, झारखंड राज्य के विभिन्न **स्कूलों में 90 वित्तीय साक्षरता शिविर** आयोजित करने वाला है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया की भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची कार्यालय दिनांक 16 से 23 अगस्त, 2024 को **"वित्तीय, डिजिटल और साइबर जागरूकता सप्ताह"** का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने बताया की क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय रिज़र्व बैंक राँची ने **'उन्नयन'** नामक एक लघु पत्रिका शुरू की है जो प्रदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन और साक्षरता के आदर्शों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों की झलक प्रस्तुत करती है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने frictionless credit ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आरबीआई को राज्य सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है और आरबीआई झारखंड को छठे राज्य के रूप में नामांकित करने का प्रयास कर रहा है साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पब्लिक टेक प्लेटफार्म में नामांकन प्राप्त करना हमारे राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गौरव की बात होगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने डिजिटल भुगतान प्रणाली तंत्र के विस्तार और वृद्धि के बारे में सदन में चर्चा की। उन्होंने कहा कि बचत खातों में 23 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है और चालू खाते में 21 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने बाकी बचे बैंकों से ***31 अगस्त 2024*** तक लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया।

(एक्शन- संबंधित बैंक)

च) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन-

- वित्त विभाग के सचिव ने राज्य में ऋण जमा अनुपात में हुई प्रगति और एनपीए प्रतिशत में गिरावट के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी, हालांकि, उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वार्षिक ऋण योजना में 10 प्रतिशत की वार्षिक उपलब्धि में आयी गिरावट पर अपनी चिंता व्यक्त की और सभी बैंको से आग्रह किया की वे उपरोक्त क्षेत्र में वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिन्हें राज्य में लागू किया जाना है जिसमें बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी योजनाएं बैंक खाता आधारित हैं उदाहरण के लिए: मैया सम्मान योजना जो एक बहुत बड़ी योजना है जहां 40 लाख लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में रुपये मिलेंगे, इसलिए उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने के लिए अपनी शाखाओं और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उचित निर्देश दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- सचिव वित्त विभाग ने बताया कि एक और बड़ी सरकारी योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है, जहां किसानों के साथ-साथ बैंकों को भी उपरोक्त योजना से लाभ होगा। उन्होंने बिरसा फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी, जहां बैंकर्स का योगदान महत्वपूर्ण है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री प्रशांत कुमार ने **frictionless Credit** के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि विभाग आरबीआई के साथ मिलकर एक ऐसा मंच स्थापित करने पर काम कर रहा है, जहां ऋण वितरण के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंकरों को आसानी से उपलब्ध होंगे, इससे किसानों को भी मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें भी आसानी से और जल्द में ऋण उपलब्ध होगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ वित्त विभाग के सचिव ने सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी शाखाओं में उल्लिखित सरकारी खाते का विवरण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय स्टेट बैंक ने ही उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराया है, अन्य बैंकों से शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह परीक्षण सरकार के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध धन की स्थिति जानने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ***आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक*** से जल्द से जल्द विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया क्योंकि प्रमुख सरकारी जमा केवल इन बैंकों के पास हैं।

(एक्शन- सभी बैंक विशेषकर उपरोक्त बैंक)

❖ श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि बिहार राज्य से पेंशन के बंटवारे के मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन बैंकों की मदद से इसे कुछ हद तक सुव्यवस्थित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब विभाग के पास बैंकों द्वारा विभाग को समय पर, शीघ्र और पेंशन विवरण जमा करने की रणनीति है, उसके बाद विभाग की ओर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि विभाग सभी पेंशनभोगियों का सत्यापित डिजिटल डेटा बेस विकसित कर रहा है ताकि डुप्लिकेसी और धोखाधड़ी से बचा जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

छ) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार श्री के श्रीनिवासन का सम्बोधन-

❖ ग्रामीण विभाग के सचिव ने आंकड़ों में लगातार वृद्धि के लिए सभी बैंकों को बधाई दी, उन्होने कहा की इससे पता चलता है कि राज्य आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कार्य करना आसान है, खासकर महिला लाभार्थियों के बीच योजना का प्रसार करना, हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया कि वित्तीय क्षेत्र में हमारे राज्य में काम करना अन्य राज्यों की तुलना में कठिन है क्योंकि यहां नक्सलवाद, इन्फ्रा, कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे हैं । उन्होंने आगे यह भी कहा कि राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री के श्रीनिवासन ने बताया कि एसएचजी/आरसेटी उप समिति की बैठक में, जहां लाभार्थी पक्ष से हितधारक ग्रामीण विभाग के पदाधिकारी होते हैं, नियामक पक्ष से आरबीआई या नाबार्ड वहीं तीसरा पक्ष बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि होते है। उन्होंने आगे बताया कि बैठक में यह महसूस किया गया कि इन तीनों हितधारकों के बीच डेटा प्रवाह तुलनात्मक रूप से धीमी गति से है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग की ओर से धीमी कार्रवाई हो रही है, इसलिए उन्होने बताया की विभाग की और से एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जहां सभी हितधारकों को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे जिससे नियमित समीक्षा की जा सकेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ ग्रामीण विभाग के सचिव ने कहा कि झारखंड राज्य का बड़ा हिस्सा और अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है और अगर हमें आर्थिक रूप से कुछ हासिल करना है तो उसे ग्रामीण क्षेत्र में हासिल करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि

ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाला जेएसएलपीएस एक विशाल समाज है जिससे 30 लाख महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम इन समूहों का समर्थन कैसे कर सकते हैं और उन्हें कैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बीसी के रूप में एसएचजी सदस्यों की नियुक्ति कम हो रही है, इसलिए उन्होंने बैंकों से इन सदस्यों को बैंकिंग संवाददाता के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ग्रामीण विभाग के सचिव ने बैंकरों को आश्वासन दिया कि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के सामने आने वाली कनेक्टिविटी, सुरक्षा और जगह से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार है और यह भी कहा कि चूंकि अधिकांश योजनाएं बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती है इसलिए ये छोटी-छोटी रुकावटें योजनाए लागू करने के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ज) सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबूबकर सिद्दीकी का सम्बोधन-

- कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान को पूरा करने के लिए बैंकों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि केवल सरकार के शामिल होने से किसानों की वित्तीय जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं, इसलिए बैंकों को केसीसी ऋण देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री सिद्दीकी ने कहा कि जैसा कि सचिव ग्रामीण विकास ने कहा है, कि राज्यों में आंकड़ों में सुधार हुआ है और केसीसी ऋण में भी पिछले वर्ष की तुलना में kcc खातों की संख्या में लगभग पांच से छह लाख की बढ़ोतरी हुई है किन्तु उन्होने कहा की पीएम किसान के आंकड़ों के अनुसार अभी भी लगभग 10 लाख किसान केसीसी ऋण से वंचित हैं और यह अंतर बहुत बड़ा है। कृषि सचिव ने बैंकों से इस अंतर को भरने और सभी किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री सिद्दीकी ने बताया कि बैंक केसीसी ऋण के लिए जमीन के कागजात की मांग कर रहे हैं, जब कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 1.60 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण के लिए किसानों को जमीन का कोई कागज जमा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होने आगे कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैंकर इसकी मांग कर रहे हैं जिससे सभी किसानों को केसीसी ऋण के अंतर्गत कवर करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों/नियंत्रक प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी शाखाओं को 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बंधक की मांग न करने का निर्देश दें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कृषि सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में 80,000 किसानों को पशुधन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के जानवर शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वित्त वर्ष का लक्ष्य 1,09,000 किसानों का था और यदि हम दोनों वर्षों को मिला दें तो करीब 2,00,000 किसान सीधे बैंकर्स के लिए

उपलब्ध होंगे, जहां 90 प्रतिशत राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और शेष 10 प्रतिशत किसानों को ऋण के रूप में बैंकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा सकता है। उन्होने यह भी सुझाओ दिया की बैंक पशु के ऋण प्रदान करने के साथ साथ केसीसी ऋण के लिए भी किसानों को प्ररित कर उन्हे केसीसी से जोड़ सकते है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री सिद्दीकी ने कर्ज माफी पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त योजना में दो भाग शामिल हैं, जिसमें पहले भाग में 50,000 से 2,00,000 रुपये के **standard** ऋण की माफी को राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है तथा इस योजना के तहत उन सभी खातों में जहां **E-KYC** पहले से ही हो चुकी है और ऋण लेने वाला **Standard** किसान है, उन्हें राशि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने सभी बैंकरों से उक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया और सदन को अवगत कराया कि यदि कोई किसान **JKRMY** के प्रथम चरण में छूट गया था तो उसे भी **E-KYC** करके नामांकित किया जा सकता है, किसान पूरे दो लाख रुपये के पात्र होंगे।

दूसरा भाग एनपीए खातों की माफी का है, जहां हम पहले ही दो बार कृषि मंत्री की उपस्थिति में बैंकों के साथ बैठक कर चुके हैं और एनपीए ऋण खाते में 50 प्रतिशत माफी पर बैंक और राज्य सरकार के बीच एक समझ बनी थी। उन्होंने आगे बताया कि कई बैंकों ने अनुरोध किया था कि उन्हें इसके लिए संबंधित मुख्य कार्यालयों से मंजूरी लेनी होगी, इसलिए यह माना जाएगा कि सभी बैंकों ने इस मामले को अपने मुख्य कार्यालयों के साथ उठा लिया होगा साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार ने बैंकरों के समर्थन के लिए राज्य में एनपीए केसीसी खातों की छूट के संबंध में वित्त मंत्री, भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। श्री सिद्दीकी ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे **approval** के लिए अपने-अपने कार्यालयों से संपर्क करें ताकि इसे **approval** के लिए कैबिनेट, झारखंड सरकार के समक्ष रखा जा सके साथ ही उन्होने सभी बैंको से एक सप्ताह के भीतर ये **approval** लेने कि बात कही।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ सचिव कृषि ने बताया कि झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां लाह की खेती को कृषि गतिविधि में माना जाता है क्योंकि झारखंड राज्य में 12 जिलों में लाह की खेती की जा रही है और किसान वहाँ अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी बैंकों से किसानों को केसीसी के तहत लाह की खेती के लिए वित्त पोषण करने का अनुरोध किया साथ ही साथ उन्होंने नाबार्ड से लाह की खेती को **Scale of Finance** में शामिल करने का भी अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं नाबार्ड)

❖ श्री सिद्दीकी ने सदन को **interest subvention** के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 4 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रही है, जबकि केंद्र सरकार 3 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रही है, तो यदि कोई किसान ससमय भुगतान करता है तो उसे राज्य में शून्य ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने बैंकों से इस योजना को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया साथ ही साथ बैंकों से **interest subvention** के लिए साल के अंत तक इंतजार न करने की सलाह दी और कहा की बैंक पहली तिमाही के **interest subvention** को पहली तिमाही में ही मांग करे ताकि सरकार भी फंड को जारी कर सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं झारखंड राज्य सहकारी बैंक)

❖ श्री सिद्दीकी ने सदन को बताया कि राज्य में बिरसा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में भी बैंकों के सहयोग की जरूरत है और उन्होंने सदन को बताया कि पंजीकरण के लिए किसानों से 1 रुपये का प्रीमियम काटा जाना है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी प्रज्ञा केंद्रों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने

योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका की जानकारी दी और कहा कि इनमें से एक है योजना के तहत सभी ऋणी किसानों का पंजीकरण करना और दूसरा शाखा स्तर पर किसानों के बीच योजना को लोकप्रिय बनाना क्योंकि पंजीकरण केवल 31 अगस्त तक है, इसलिए उन्होंने उक्त योजना के तहत बैंकों से उनके समर्थन का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

झ) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार डॉ. रामेश्वर उराँव का सम्बोधन-

- डॉ. रामेश्वर उराँव ने इस बार आयोजित बैठक की सराहना की क्योंकि बैठक में पहले चरण में प्रदर्शन पर अच्छी समीक्षा हुई और उन्होंने पूरी बैठक राज्य भाषा यानी हिंदी में आयोजित करने के लिए अपनी कृतज्ञता भी दिखाई।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए केसीसी खाते में छूट से राज्य के किसानों को मदद मिलेगी और यह बैंक के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि जो कर्ज वसूली योग्य नहीं था वह वापस मिल जाएगा इसलिए उन्होंने बैंकों से इसे जल्द से जल्द राज्य में लागू करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- डॉ. रामेश्वर उराँव ने राज्य में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि के लिए सभी हितधारकों की सराहना की साथ ही साथ उन्होंने बैंकों से गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपना समर्थन प्रदान करने का भी अनुरोध किया ताकि राज्य के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए आर्थिक मदद मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में मांदर, नगाड़ा और सोलर लाइट वितरित करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किए गए कार्यों पर बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री मनोज कुमार की सराहना की। उन्होंने अन्य सभी बैंकों से अपने सीएसआर फंड के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र को वित्त पोषित करने का भी आग्रह किया ताकि राज्य में आदिवासी संस्कृति की रक्षा की जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ञ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री एम कार्तिकेयन का सम्बोधन-

- कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य में ऋण जमा अनुपात में 45 प्रतिशत से 49 प्रतिशत की वृद्धि के लिए सभी हितधारकों की सराहना की। श्री कार्तिकेयन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से हम राज्य में ऋण जमा अनुपात को सितंबर 2024 तक 49.57 प्रतिशत से 55 प्रतिशत और मार्च 2025 तक 60 प्रतिशत तक हासिल कर लेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने उपरोक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ मंत्र दिए हैं:

    - उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा क्योंकि राज्य में पर्याप्त कृषि क्षेत्र है और उनमें से अधिकांश एकल फसल की खेती होती हैं। उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे जैविक खेती को बढ़ावा देने के किसानों को **RSETI** के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करे, **Marketing** उपलब्ध करे साथ ही साथ सब्जियाँ, औषधीय पोधे, दाल और बाजरा की खेती को जैविक खेती के रूप में बढ़वा देना जाना चाहिए क्योंकि बाजार में जैविक उत्पादों की अच्छी मांग है।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- श्री कार्तिकेयन ने सुझाव दिया कि वाटर शेड प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी एलडीएम से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र की आबादी के लिए चेक डैम, जल संचयन उपकरण जैसी चीजों को बनाने में संभव समर्थन दें। उन्होने यह भी कहा की नाबार्ड ने पहले ही **Scale of Finance** दे दिया है और अब सभी एलडीएम अपने संबंधित क्षेत्रों की शाखाओं से इसके अनुपालन का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त एलडीएम)

- उन्होंने बागवानी में खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री कार्तिकेयन ने आगे कहा कि चाहे अस्पताल हो, सरकारी कार्यालय हो, स्कूल हो हर जगह बागवानी उत्पादों की मांग बहुत अधिक है। उन्होंने किसानों को इन प्रकार की फसलों विशेषकर फूलों की खेती के लिए प्रशिक्षण देने का आग्रह किया और साथ ही आम, अमरूद, लीची, टमाटर और पपीता जैसे फलों की खेती की भी वकालत की क्योंकि ये झारखंड राज्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- श्री कार्तिकेयन ने कहा कि एक अन्य क्षेत्र जहां बैंकों और एलडीएम को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह है पशुधन वित्तपोषण। उन्होंने आगे कहा कि हमने पशुधन वित्त पोषण में वृद्धि दिखाई है लेकिन यह हमारे राज्य की क्षमता से कम है और इसलिए हमें अपनी क्षमता तक पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने सभी बैंकों और एलडीएम से पशुधन के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कार्यकारी निदेशक ने कृषि वन **(agro forest)** पर संबोधन करते हुए कहा कि राज्य में बहुउद्देशीय वृक्ष, बांस की खेती, नीम, मोरिंगा और कटहल की खेती को लोकप्रिय बनाने की अवशकता है क्योंकि इससे राज्य में रोजगार में सुधार होगी और साथ ही मुख्य कृषि में भी वृद्धि होगी। उन्होंने सभी हितधारकों से उपरोक्त क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- कार्यकारी निदेशक ने कहा कि मत्स्य पालन और जलीय संस्कृति एक अन्य क्षेत्र है जहां राज्य को अंतर्देशीय कृषि तालाबों के साथ-साथ स्वदेशी प्रजातियों पर जोर देने की भी जरूरत है और इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किए जाने चाहिए।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- श्री कार्तिकेयन ने कहा कि राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत सारे किसान तसर रेशम की खेती में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सभी बैंकों और एलडीएम से आग्रह किया कि वे तसर रेशम की खेती में लगे इन किसानों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री एम कार्तिकेयन ने बाजरा, रागी और कांगनी की खेती पर सदन को संबोधित किया और कहा कि ये फसल इन क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत इरादे को बहाल करने

की आवश्यकता है कि इन फसलों की खेती के लिए वित्त सहायता बैंकों के द्वारा प्रदान हो। उन्होंने सभी एलडीएम से आग्रह किया कि वे परामर्श केंद्रों, एफएलसी के माध्यम से इन फसलों की खेती को लोकप्रिय बनाएं और वित्तपोषण के लिए लीड तैयार करने के लिए इसे बैंकिंग संवाददाता तक भी ले जाएं।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कार्यकारी निदेशक ने अपने भाषण में कृषि विपणन, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया और कहा कि देश के अन्य हिस्सों में एफपीओ की भागीदारी के साथ कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, परिवहन के विकास में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और झारखंड राज्य में सुधार की काफी गुंजाइश है।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- श्री कार्तिकेयन ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एक अन्य क्षेत्र है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य की मिट्टी ताजी मिट्टी है क्योंकि राज्य में एकल फसल उगाई जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि खाद, हरी खाद से फसल की खेती, जैव उर्वरक उत्पादन, वर्मी खाद और फसल चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने एलडीएम और बैंकों से इन गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने का अनुरोध किया।

उन्होंने सभी एलडीएम और राज्य प्रमुखों से उपरोक्त गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने और इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया ताकि ऋण जमा अनुपात के दिए गए लक्ष्य को हासिल किया जा सके और राज्य राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो सके।

❖ कार्यकारी निदेशक ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत टोल फ्री नंबर शुरू करने के संबंध में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए बिंदु के संबंध में कहा कि सभी बैंकों के पास सामान्य ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं, लेकिन किसी भी बैंक के पास कृषि के लिए विशेष नंबर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया और सभी सदस्य बैंकों से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ उन्होंने कृषि ऋण माफी योजना को 50,000 से 2,00,000 तक अगले स्तर पर ले जाने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया, जहां मानक किसानों को उक्त योजना से लाभ होगा। उन्होंने सभी बैंकों से उपरोक्त योजना को झारखंड राज्य में आक्रामक ढंग से लागू कराने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर एनपीए खाते पर श्री कार्तिकेयन ने सभी बैंकों से इस मामले को अपने संबंधित बोर्ड के साथ उठाने और राज्य सरकार को अपनी सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से उपरोक्त योजना पर एक एसओपी जारी करने का भी अनुरोध किया ताकि बैंक इस मामले को बोर्ड के साथ उठा सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

❖ श्री कार्तिकेयन ने किसान उत्पादक संगठन **(FPOs)** का मामला उठाया और कहा कि यह क्षेत्र देश में कृषि क्रांति लाएगा और उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से **FPOs** को वित्तपोषित करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ कार्यकारी निदेशक ने महिला स्वयं सहायता समूह के तहत राज्य सरकार के द्वारा किए गये कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में **SHG** को औसत ऋण एक लाख से भी कम है, जो की चिंता का विषय है, उन्होने कहा की

चूंकि बैंक प्रति एसएचजी बीस लाख रुपये तक ऋण प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी बैंकों से **shg** के औसत ऋण को बढ़ाने का अनुरोध किया साथ ही साथ उन्होने एलडीएम से अपने संबंधित जिलों की शाखाओं के साथ इस मामले को उठाने का भी अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने एसएलबीसी बैठक में नियमित रूप से भाग लेने और अपने शब्दों से सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय मंत्री को आश्वासन दिया कि हम निश्चित रूप से राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और राज्य के समग्र विकास के लिए काम करेंगे।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कार्तिकेयन ने माननीय कृषि मंत्री को सूचित किया कि बैंक भूमि मजदूर को 50000 रुपये तक और बिना भूमि रिकॉर्ड के घोषणा के आधार पर एक लाख रुपये तक केसीसी का वित्तपोषण कर रहे हैं, हालांकि, उन्होंने सभी बैंकों से किसानों के लिए सीमा बढ़ाने की संभावना तलाशने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सी एच गोपाला कृष्णा ने एस.एल.बी.सी की **88**वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

88वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2024

14 अगस्त 2024, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची□

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	डॉ.रामेश्वर उराँव	वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्रीमती दीपिका पांडे सिंह	कृषि मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री प्रशांत कुमार, भा॰प्र॰से□	सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
4	श्री अबूबकर सिद्दीकी, भा॰प्र॰से□	सचिव	कृषि विभाग, झारखंड सरकार	
5	श्री के श्रीनिवासन, भा॰प्र॰से□	सचिव	ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार	
6	श्री एम कार्तिकेयन	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	9962249306
7	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	9930453711
8	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	9475265622
9	श्री गौतम कुमार सिंह	महाप्रबंधक	नाबार्ड	9930544007
10	श्री सूरज कुमार, भा॰प्र॰से	रजिस्ट्रार सहकारी	कृषि विभाग, भारत सरकार	9430305060
11	श्री बिष्णु सी परिदा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जेएसएलपीएस	9939221549
12	श्री रामनिवास यादव,भा॰प्र॰से	निदेशक	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	7061464322
13	श्री सुजीत कुमार साहू	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7599324615
14	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
15	श्री प्रभास बोस	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9669288088
16	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
17	श्री राम स्वरूप सरकार	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9163730750
18	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
19	श्री जगजीत कुमार	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395610
20	श्री सुनील कुमार	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
21	श्री वी के रॉय	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7022255232
22	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
23	श्री गीतेश कुमार झा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
24	श्री रवि शंकर सिंह	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	9869122720
25	श्री सनी टुडू	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	7894247859
26	श्री टी नागाराजू	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	7660091211
27	श्री यू घोष	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9771431574
28	श्री रोशन कुमार घिरिया	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	7619456785
29	धूप वाला	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8809501850
30	श्री ब्रजेश्वर नाथ	सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	9981148869
31	श्री परिषेष पाठक	मुख्य प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8709199091
32	श्री प्रदीप कुमार हजारी	विशेष सचिव	कृषि विभाग, भारत सरकार	9441821911
33	श्रीमती इस्मत जहां	सहायक महाप्रबंधक	यूको बैंक	984313815
34	श्रीमती शिखा चौधरी	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9971149208
35	श्री रोहित कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	
36	श्री कमलेश मंडल	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
37	श्री राजेश कुमार	मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9470650026
38	श्री धरेन्द्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	6200445070
39	श्री सर्वेश कुमार	एजीएम- क्षेत्रीय प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	
40	श्री महेश कुमार राय	सहायक प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	8757776638
41	श्री राज कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9204256198
42	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	8709316664
43	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016

44	श्री राजीव मल्होत्रा	सहायक संचालक	केवीआईसी	9431169393
45	श्री राजीव कुमार	सहायक संचालक	केवीआईसी	9431169393
46	श्री शशि भूषण मिश्रा	राज्य निदेशक	NACER	9330752100
47	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	8448291940
48	श्री रामेश्वर लेयांगी	उप सचिव	राजस्व पंजीकरण विभाग, झारखंड सरकार	9835942518
49	श्री पी. मित्तल	ओएसडी	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	9570171514
50	श्री संजय कुमार	व्यक्तिगत सुरक्षा	वित्त मंत्री	9431760111
51	श्री संदीप	व्यक्तिगत सुरक्षा	कृषि मंत्री	8986460218
54	श्री शंभू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन विभाग	7903097749
56	श्री हरि प्रसाद बियानी	सचिव	झारखंड लघु उद्योग संघ (जेएसआईए)	8002685608
57	श्री शिवम सिंह	सचिव	झारखंड लघु उद्योग संघ (जेएसआईए)	9835334399
58	सीए महेंद्र कुमार जैन	अध्यक्ष	एफजेसीसीआई	9431170418
59	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	रुडसेटी,राष्ट्रीय अकादमी	9073396646
60	श्री धीरज	एसपीएम एफआई	जेएसएलपीएस, आरडीडी	8969170434
61	सुश्री पुनम रानी	एमआईएस मैनेजर	पीएमएफएमई	7009964481
62	श्री मुकेश कुमार	प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	9287395612
63	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
64	श्री हेमन्त कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9801491770
65	श्री राजीव रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9073369980
66	श्री समिंदर सिंह	उप महाप्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9830014432
67	श्री अमित कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	8439834004
68	श्री पवन श्रीवास्तव	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड,	9827192013
69	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
70	श्री हिमांशु कुमार	क्लस्टर हैड	बंधन बैंक	7763803332
71	श्री विनय कुमार	सीईओ	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	9430145773
72	श्री शिव प्रिया	क्लस्टर हैड	यस बैंक	7979962010
73	श्री धनंजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9836711150
74	श्री अंसुल आनंद	वरिष्ठ प्रबंधक	एयू लघु वित्त बैंक	8334937778
75	श्री अर्जुन कुमार सिन्हा	वरिष्ठ प्रबंधक	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	8129441246
76	श्री दुलाल	सहायक प्रबंधक	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	8789597427
77	श्री फरहान जलीली	एवीपी 1 - क्षेत्रीय प्रमुख	जन लघु वित्त बैंक	7230073087
78	श्री शैलेन कुमार हलदर	ए.वी.पी	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7542035157
79	श्री अमरेन्द्र झा	आंचलिक प्रमुख	उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड	9334616474
80	श्रीमती ज्योति कुमारी	प्रबंधक	डीबीएस बैंक	7547088880
81	श्री विक्रम कुमार	सर्कल प्रमुख	एयरटेल भुगतान बैंक	7541049105
82	**अनुपस्थित**		**फिनो पेमेंट्स बैंक**	
83	श्री बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
84	श्री राजेश कुमार	सहायक शाखा प्रमुख	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	9771492660
85	श्री प्रेम कुमार	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	9007206808
86	श्री इमदाद हुसैन	प्रबंधक	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	7006089452
87	श्री निहार रंजन पांडा	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक लिमिटेड	9438251177
88	श्री प्रीतम सिन्हा	ए.वी.पी	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7231855238
89	**अनुपस्थित**		**फ़ेडरल बैंक लिमिटेड**	
90	श्री नवनीत गांधी	उप उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
91	श्री देबाशीष दास	सहायक उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
92	श्री कौशल किशोर	सहायक महाप्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9934313934
93	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046

94	अनुपस्थित		आईडीएफसी बैंक	
95	श्री अमित कुमार नायक	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9937192007
96	श्री राजेश कुमार साहा	शाखा प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9570220051
97	श्री आबिद हुसैन	अग्रणी जिला प्रबंधक	बोकारो	8451978491
98	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	अग्रणी जिला प्रबंधक	चतरा	8340133328
99	अनुपस्थित		देवघर	
100	श्री अमित कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	धनबाद	8298715715
101	श्री चन्द्रशेखर पटेल	अग्रणी जिला प्रबंधक	दुमका	9074485076
102	श्री संतोष कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	पूर्वी सिंहभूम	7260814454
103	श्री एस के रंजन	अग्रणी जिला प्रबंधक	गढ़वा	9304284449
104	श्री अमृत चौधरी	अग्रणी जिला प्रबंधक	गिरिडीह	8210169991
105	श्री चंदन चौहान	अग्रणी जिला प्रबंधक	गोड्डा	7781919295
106	श्री मनीषा कुमारी	प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय	गुमला	8709568277
107	श्री किशोर कुमार	प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय	हज़ारीबाग	9572016960
108	श्री राजेश केआर सिन्हा	अग्रणी जिला प्रबंधक	जामताड़ा ज़िला	9470650026
109	श्री सुखदेव बारी	प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय	खूंटी ज़िला	7004035307
110	श्री निवास कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	कोडरमा	9534741185
111	अनुपस्थित		लातेहार	
112	श्री नवीनन्दु कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	लोहरदगा	8177819118
113	श्री धनेश्वर बेसरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	पाकुर	9771438410
114	श्री एंथोनी लियांगी	अग्रणी जिला प्रबंधक	पलामू	9934363710
115	श्री दिलीप महली	अग्रणी जिला प्रबंधक	रामगढ़	7796504828
116	श्री अजित कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	रांची	9007826480
117	श्री सुधीर कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	साहिबगंज	9771438409
118	श्री बरुण कुमार चौधरी	अग्रणी जिला प्रबंधक	सरायकेला खरसावां	7903255293
119	श्री शंकर प्रसाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	सिमडेगा	75093 69864
120	श्री दिवाकर सिन्हा	अग्रणी जिला प्रबंधक	पश्चिम सिंहभूम	8936802753
121	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9431787051
122	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
123	श्रीमती आभा रानी सिंह	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
124	श्री अल्फ्रेड लॉरेंस बोपोई	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
125	श्रीमती दीक्षा अखौरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
126	श्री शशि भूषण	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
127	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
128	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
129	श्री अश्वनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
130	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455
131	श्री बिट्टू कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	